न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 484/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बाबूसिह पुत्र उम्मेदसिह उर्फ उदेसिह 2– सुमेरसिह पुत्र उम्मेदसिह उर्फ उदेसिह दोनो जातियान राजपुरोहित निवासी ग्राम ढण्ढोरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1– कमला पुत्री उम्मेदसिह पत्नी समुन्दरसिह जाति राजपुरोहित निवासी ढण्ढोरा तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम घेनडी तहसील रानी जिला पाली 2– पुष्पा पुत्री उम्मेदसिह पत्नी रतनसिह जाति राजपुरोहित निवासी ढण्ढोरा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम पिलोवणी तहसील रानी जिला पाली 3– भंवरसिह पुत्र भागीरथसिह जाति राजपुरोहित 4– रूपसिह पुत्र शिवसिह जाति राजपुरोहित 5– श्यामसिह पुत्र शिवसिह जाति राजपुरोहित निवासीगण ढण्ढोरा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 6– सरपंच ग्राम पंचायत गजसिहपुरा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 7– तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–3–2016 जो तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 26/2013 मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 496/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–– बाबूसिह पुत्र उम्मेदसिह उर्फ उदेसिह 2– सुमेरसिह पुत्र उम्मेदसिह उर्फ उदेसिह दोनो जातियान राजपुरोहित निवासी ग्राम ढण्ढोरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1– कमला पुत्री उम्मेदसिह पत्नी समुन्दरसिह जाति राजपुरोहित निवासी ढण्ढोरा तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम घेनडी तहसील रानी जिला पाली 2– पुष्पा पुत्री उम्मेदसिह पत्नी रतनसिह जाति राजपुरोहित निवासी ढण्ढोरा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम पिलोवणी तहसील रानी जिला पाली 3– सरपंच ग्राम पंचायत मंगेरिया, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 4– तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–3–2016 जो तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 24/2013 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (दोनोअपीलो मे)

1– श्री सुगनमल परिहार, जे0के0भईया अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से ।
2– श्री भरत श्रीमाली अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता तहसीलदार भोपालगढ की ओर से।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 20–12–2017

उक्त दोनो ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रकरण संख्या 26/2013 एवं प्रकरण संख्या 24/2013 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 28–3–2016 के विरूद्ध पेश की है, जिसमे एक समान विषयवस्तु एवं समान कानूनी बिन्दु निहित होने से उक्त दोनो अपीले एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है । दोनो अपीलो मे निर्णय की एक–एक मूल प्रति नत्थी की जाये ।

अपील संख्या 484/17 के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि ग्राम आसण्डा के खसरा नंबर 91 रकबा 2.14 बीघा एवं खसरा नंबर 99 रकबा 69 बीघा कुल 2 खसरान की 71.14 बीघा भूमि भागीरथसिह, उदयसिह पुत्र पीरदानसिह, रूपसिह, श्यामसिह पि0 शिवसिह पुरोहित सा0 ढढोरा के सहखातेदारी की थी । सहखातेदार भागीरथसिह एवं उदयसिह के फौत होने पर उनके स्थान पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांरतरकरण संख्या 298 उनके पुत्रो के नाम भरकर पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत गजसिहपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 298 के विरूद्ध मृतक खातेदार उदयसिह की पुत्री कमला ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि मृतक खातेदार उदयसिह के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां है जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से पुत्रियो का भी नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज किया जाना चाहिये था, जो दर्ज किया जाये तथा अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किया जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामांतरकरण संख्या 298 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि स्व0 उदयसिह के विधिक वारिसान की पूर्णतया जांच कर विधिसम्मत नामांतरकरण स्वीकृति की कार्यवाही करे । जिसकी पालना मे तहसीलदार भोपालगढ ने मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–3–2016 के द्वारा मृतक उदयसिह के स्थान पर उसके विधिक वारिसान मे बाबूसिह, सुमेरसिह पुत्रान उदयसिह एवं पुष्पाकंवर, कमलाकंवर पुत्रियां उदयसिह के नाम म्युटेशन दर्ज करने बाबत निर्णय दिनांक 28–3–2016 को पारित किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील संख्या 484/2017 पेश की गई है ।

इसी प्रकार ग्राम ढण्ढोरा के खसरा नंबरान 325, 252, 345, 328, 330, 361, 367, 251 की कुल 108 बीघा भूमि के संयुक्त खातेदार उम्मेदसिह पुत्र पीरदानसिह थे जिसके फोत होने पर उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का फोतेदगी

नामांरतरकरण संख्या 224 उनके पुत्रो के नाम भरकर पटवारी हल्का मंगेरिया ने पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत मंगेरिया द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त नामांरतरकरण संख्या 224 के विरूद्ध मृतक खातेदार उम्मेदसिह की पुत्री कमला ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि मृतक खातेदार उदयसिह के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां है जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से पुत्रियो का भी नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज किया जाना चाहिये था, जो दर्ज किया जाये तथा अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किया जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामांरतरकरण संख्या 224 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि स्व0 उम्मेदसिह के विधिक वारिसान की पूर्णतया जांच कर विधिसम्मत नामांतरकरण स्वीकृति की कार्यवाही करे । जिसकी पालना मे तहसीलदार भोपालगढ ने मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–3–2016 के द्वारा मृतक उदयसिह के स्थान पर उसके विधिक वारिसान मे बाबूसिह, सुमेरसिह पुत्रान उम्मेदसिह एवं पुष्पाकंवर, कमलाकंवर पुत्रियां उम्मेदसिह के नाम म्युटेशन दर्ज करने बाबत निर्णय पारित किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील संख्या 496/2017 पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त दोनो ही अपीलों मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मृतक सहखातेदार उम्मेदसिह की पैतृक पुश्तैनी भमि थी तथा खातेदार उम्मेदसिह के फौत होने पर उक्त भूमि का फौतेदगी का म्युटेशन वर्ष 1989 मे अपीलांटगण के पक्ष मे विधिवत भरा जाकर स्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध मृतक खातेदार उम्मेदसिह की पुत्री कमला को अपील पेश करने का अधिकार नही था तथा फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष उक्त दोनो नामांतरकरणो के विरूद्ध अत्यधिक विलंब से करीब 25 वर्ष बाद अपील पेश की जबकि रेस्पो0 पुत्रियो को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी पूर्व से ही थी जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अन्दर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन दोनो म्युटेशनो को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को रिमाण्ड करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ ने कानूनी प्रावधानो को समझे एवं गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ ने रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन भूमि की प्रकृति को

देखे बिना अपीलाधीन आदेश के द्वारा भाई बहिनो सभी के पक्ष मे बराबर– बराबर हिस्से की भमि का म्युटेशन दर्ज करने बाबत पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 पुत्रियां का अपीलाधीन भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा । वे शादी के बाद अपने ससुराल निवास करती है तथा कथन किया कि अपीलाधीन भूमि स्व0 खातेदार उम्मेदसिह की पैतृक सम्पति है जो सहदायिकी सम्पति है, तथा कथन किया कि हमारे पिता उम्मेदसिह का देहांत वर्ष 1987 मे ही हो गया था इसलिए उक्त सहदायिकी सम्पति मे पुत्रगण बाबूसिह एवं सुमेरसिह का ही हक हिस्सा बनता है जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7217/2013 अनवान प्रकाश बनाम श्रीमती फुलवंती मे पारित निर्णय दिनांक 16–10–2015 के अनुसार के अनुसार किसी भी पैतृक सम्पति मे किसी भी स्त्री जिस व्यक्ति के आधार पर वो उतराधिकार होने का कथन करती है वो व्यक्ति यदि दिनांक 9–9–2005 से पूर्व मृत हो चुका है तो उसकी पैतृक सम्पति मे उसकी पुत्रियां सहदायिकी सदस्य नही होने से उन्हे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नही होगा बल्कि पुरूष सदस्य के पुत्र संतान ही उसकी सम्पति मे उतराधिकार होने से स्वामी होंगे इसलिए अपीलाधीन भूमि पैतृक होने से तथा हमारे पिता की मृत्यु वर्ष 1987 मे हो जाने से हम दो पुत्रो अपीलांटगण का ही हक हिस्सा होने से जो अपीलाधीन म्युटेशन 224 एवं 298 स्वीकृत किये गये थे वे विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–3–2016 को निरस्त करने तथा उपरोक्त दोनो ही अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 224 व 298 यथावत रखने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2006–07 (सप्ली.) पेज 99 एवं माननीय सुप्रिम कोर्ट मे दायर सिविल अपील संख्या 7217/2013 की निर्णय नजीरे पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये दोनो ही निण्रयो का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार उम्मेदसिह की जायंदा पुत्रियां है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अुनसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होते हुए मृतक खातेदार उम्मेदसिह के विधिक वारिसान की जांच किये उक्त दोनो ही फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 224 व 298 स्वीकृत कर दिये, जो विधिसम्मत नही होने से ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विपरीत अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश करने मे हुए विलंब को उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ ने अपने निर्णय मे विवेचन करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन उक्त दोनो म्युटेशनो को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार

भोपालगढ को मृतक खातेदार उम्मेदसिह के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार म्युटेशन स्वीकृत करने हेतु रिमाण्ड किया । जिसकी पालना मे तहसीलदार भोपालगढ ने बाद जांच एवं सुनवाई के जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा दोनो ही अपीलो मे पारित अपीलाधीन निर्णय तथा उक्त निर्णय की पालना मे तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–3–2016 का अध्ययन किया तथा बहस के समर्थन मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

उक्त दोनो ही अपीलो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार उदयसिह के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये फोतेदगी नामांतरकरण संख्या क्रमशः 298 ग्राम आसण्डा एवं नामांतरकरण संख्या 224 ग्राम ढण्ढोरा मे केवल दो पुत्रो के नाम ही दर्ज किये जबकि मृतक खातेदार उदयसिह के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां थी, इसे अपीलांट भी स्वीकार करते है । मृतक खातेदार की पुत्री रेस्पो0 संख्या 1 कमला जो कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने तथा अपीलाधीन भूमि मे पुत्र के समान बराबर का अधिकार होते हुए उसे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित करते हुए स्वीकृत किये गये उक्त दोनो म्युटेशनो के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय के द्वारा उक्त दोनो ही नामांतरकरणो को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को निर्णय मे दिये गये निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित करने पर तहसीलदार भोपालगढ ने मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच करवाकर, उन्हे नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देकर रेस्पो0 पुत्रियों को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान मानते हुए मृतक खातेदार उम्मेदसिह के वारिसान मे 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां के नाम नामांतरकरण दायर करने बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–3–2016 को पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से हम उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे माननीय सुप्रिम कोर्ट मे दायर सिविल अपील संख्या 7217/2013 अनवान प्रकश एवं अन्य बनाम फूलवंती एवं अन्य मे पारित निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो हिन्दु उतराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 सहदायिकी (कॉपार्सनरी) सम्पति मे पुत्रियो के अधिकारो के संदर्भ मे संशोधन से संबंधित है जबकि तहसीलदार भोपालगढ ने वर्तमान

प्रकरण मे अपीलाधीन निर्णय हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधान अनुसार पुत्रियो का पुत्रो के समान अधिकार होना मानते हुए पारित किया है, जो समर्थन योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–3–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर